रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112026-277675
CG-DL-E-04112026-277675

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5781] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2026/कार्तिक 13, 1948
No. 5781] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2026/KARTIKA 13, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2026

का.आ. 6013(अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962, (1962 का 50) की धारा 2के खंड (क) के अनुसरण में, भारत सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, की अजिसूचना का.आ. 1927 (अ) दिनांक 01अप्रैल 2021 के द्वारा श्रीमती एम. श्री देवी, विशेष उप ज़िलाधिकारी को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की कृष्णपट्टनम हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी के पद के दिए गए प्राधिकार के अधिपत्य का अधिक्रांत करते हुये, भारत सरकार नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ 1 में उल्लिखित व्यक्ति को, उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध मे उक्त अधिनियम के अधीन प्रतिनियुक्त सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

अनुसूची	
प्राधिकारी का नाम और पदनाम (1)	अधिकारिता का क्षेत्र (2)
श्रीमती के. उमा रानी, विशेष उप ज़िलाधिकारी (एसडीसी), ओंगोल, प्रकाशम जिला - आंध्र प्रदेश, सक्षम प्राधिकारी, कृष्णपट्टनम हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	आंध्र प्रदेश राज्य

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर- 11025(15)/1/2021-ओआर-I- भाग (1)/ई-52369]

हरित कुमार शाक्या, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November 2026

S.O. 6013(E).— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) and in supersession of authorization given to Smt. M. Sree Devi, (Special Deputy Collector) on deputation as a Competent Authority for Krishnapatnam Hyderabad Pipeline project of BPCL for Andhra Pradesh region through Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India vide. S.O. 1927 (E) dated 01st April 2021, the Government of India hereby authorizes the person mentioned in column (1) of the Schedule given below to perform the functions of the "Competent Authority" on deputation under the said Act, in respect of the area mentioned in column (2) of the said Schedule:

SCHEDULE	
Name & Designation of the Authority **(1)**	**Area of jurisdiction** **(2)**
Smt. K. Uma Rani, Special Deputy Collector (SDC), Ongole, Prakasam District - Andhra Pradesh, Competent Authority, Krishnapatnam Hyderabad Pipeline Project, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)	State of Andhra Pradesh

This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. R-11025(15)/1/2021-OR-I-Part(1)/E-52369]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA